# न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी: अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–04 / 2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. बंशीलाल पिता गिरधारी जाति तेली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रामचन्द्र पिता मोहन जाति तेली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण पिता प्यारा जाति तेली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. प्यारी उर्फ चान्दी पत्नी प्यारा जाति तेली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजु पिता प्यारा जाति तेली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. रामेश्वर पिता प्यारा जाति तेली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय–

   4/1 भगवतीलाल पिता रामेश्वर जाति तेली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

   4/2 पिन्टु पिता रामेश्वर जाति तेली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

   4/3 दुर्गा पुत्री रामेश्वर जाति तेली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

   4/4 प्यारी पत्नी रामेश्वर जाति तेली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. रामपाल उर्फ रामलाल पिता गिरधारी जाति तेली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. लादू पिता छोगा जाति तेली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. शान्तिलाल पिता मोहन जाति तेली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
9. उप पंजीयक भीलवाड़ा प्रथम व द्वितीय जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>**

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री श्रवण सेन – प्रार्थी

निर्णय दिनांक 14/8/25

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण सेन द्वारा दिनांक 25.01.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया जो बाद जांच प्रकरण संख्या 04/2023 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की वास्ते तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

उक्त उनवान का वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जो काफी ठोस तथ्यों पर आधारित होकर अवश्य ही डिक्री होगा।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की शामलाती अविभाजित कृषि आराजियात वाके ग्राम पुर प0 ह0 पुर प्रथम तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

14/8/25

सहायक कलक्टर

**(क) खाता संख्या 2516**

| आराजी संख्या | रकबा |
|---|---|
| 8657 | 0.7840 हैक्टयर |
| 8658 | 0.3414 हैक्टयर |
| 8659 | 0.1644 हैक्टयर |
| 8660 | 0.4426 हैक्टयर |
| 8662 | 0.4046 हैक्टयर |
| 8671 | 0.0253 हैक्टयर |
| कुल किता 06 | कुल रकबा 2.1623 हैक्टयर |

नोटः– उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी संख्या 01 व 02 का 1/8–1/8 वा हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 01 का 1/16 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 का 1/16 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 03 का 1/16 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 04 मृतक रामेश्वर के वारीसान 4/1 लगायत 4/4 का 1/16 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 05 का 1/8 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 7 का 1/8 वां हिस्सा निहित होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

**(ख) खाता संख्या 2419**

| आराजी संख्या | रकबा |
|---|---|
| 8639 | 0.8725 हैक्टयर |
| कुल किता 01 | कुल रकबा 0.8725 हैक्टयर |

नोटः– उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी संख्या 01 व 02 का 1/6–1/6 वा हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 01 का 1/24 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 का 1/24 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 03 का 1/24 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 04 मृतक रामेश्वर के वारीसान 4/1 लगायत 4/4 का 1/24 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 05 का 1/6 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा, विपक्षी संख्या 7 का 1/6 वां हिस्सा निहित होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 के पैरा क व ख में वर्णित आराजियात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की शामलाती खाते की होकर अविभाजित कृषि आराजियात है, पैरा क में वर्णित आराजियात में प्रार्थी संख्या 01 व 02 का 1/8–1/8 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 01 का 1/16 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 का 1/16 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 03 का 1/16 वा हिरसा, विपक्षी संख्या 04 मृतक रामेश्वर के वारीसान 4/1 से 4/4 का 1/16 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 05 का 1/8 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 06 का 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 07 का 1/8 वां हिस्सा एवं पैरा "ख" में वर्णित आराजियात में प्रार्थी संख्या 01 व 02 का 1/06–1/06 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 01 का 1/24 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 का 1/24 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 03 का 1/24 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 04 मृतक रामेश्वर के वारीसान 4/1 से 4/4 का 1/24 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 05 का 1/6 छठा हिस्सा, विपक्षी संख्या 06 का 1/6 हिस्सा, विपक्षी संख्या 07 का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व कास्त करते आ रहे है तथा लेकिन रेकॉर्ड में खाता शामलाती होने से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण व्यवस्थित जगह पर काबिज नहीं है, न ही मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया हुआ है तथा भूमि का लगान जमा करवाते समय एवं सीमा चिन्ह बाबत आये दिन प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य लड़ाई–झगड़ा एवं विवाद होता रहता है, इसलिए प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध विभाजन के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई।

प्रार्थना पत्र चरण संख्या 02 दो के पैरा "क" में वर्णित आराजियात में प्रार्थी संख्या 01 व 02 का 1/8–1/8 वां हिस्सा एवं पैरा "ख" में वर्णित आराजियात में प्रार्थी संख्या 01 व 02 1/6–1/6 वां हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है, उसके अनुसार विभाजन के लिए प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को निवेदन किया तो विपक्षीगण विभाजन के लिए बिल्कुल ही इन्कार हो गये व बिना विभाजन कराये ही, विपक्षीगण प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर, अच्छी किमत वाली भूमि, जो कि रोड़ के पास स्थित है, को विक्रय करने की धमकी दिनांक 07.01.2023 को दी, जिससे प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है, अतः प्रार्थीगण की और से विपक्षीगण के विरूद्ध विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण के बिनाय वाद कारण दिनांक 07.01.2023 को विपक्षीगण द्वारा बिना विभाजन कराये ही, मौके से बेदखल कर, अच्छी किमत वाली भूमि, जो कि रोड़ के पास स्थित है, को विक्रय करने की धमकी देने की दिनांक 07.01.2023 से उत्पन्न होकर जारी है।

प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा सन्तुलन का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है चूँकि विवादग्रस्त भूमि जो कि अविभाजित होकर शामलाती खाते है, जिसका विपक्षीगण द्वारा बिना विभाजन कराये ही, मौके से बेदखल कर अच्छी किमत वाली भूमि, जो कि रोड के पास स्थित है, को विक्रय करने पर आमादा है। यदि विपक्षीगण द्वारा बिना विभाजन कराये भूमि को विक्रय कर दी तो अधिकाधिक विवाद उत्पन्न होगा, जिसका मूल्यांकन आर्थिक रूप से किया जाना असम्भव है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही उठानी पड़ेगी, अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण रूप से साबित है, सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही उठानी पड़ेगी, अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि०एक्ट बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निरतारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि ग्राम पुर प०ह० पुर प्रथम तहसील व जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 2516 की आराजी 8657 रकबा 0.7840 हैक्टेयर, 8658 रकबा 0.3414 हैक्टेयर, 8659 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, 8660 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, 8662 रकबा 0.4046 हैक्टेयर, 8671 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 2.1623 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी संख्या 01 व 02 के 1/8–1/8 वां हिस्सा एवं खाता संख्या 2419 आराजी नम्बर 8639 रकबा 0.8725 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.8725 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी संख्या 01 व 02 के 1/6–1/6 वां हिस्सा के उपयोग उपभोग व कास्त करने में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वयं उत्पन्न करें, न अन्य से करावें, बिना विभाजन कराये, मौके से बेदखल कर, अन्य व्यक्तियो को विक्रय नही करें, विपक्षी संख्या 08 राजस्व रेकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करें, विपक्षी संख्या 09 उक्त भूमि के अन्तरण बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नही करें, मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी जाकर विपक्षीगण के विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.02.2023 को जारी की गई तथा विपक्षीगण के सम्मन जारी किए गए।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 4/1 लगायत 4/4, 5 व 7 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल मिसल किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व 7 के बाद तामील असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही दिनांक 01.04.2025 को अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 6, 8 व 9 के बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 14.07.2025 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रकरण का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर निर्णय किया जाना आवश्यक है:–

**1. प्रथम दृष्टया मामला:–**

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पुर की वादग्रस्त आराजी संख्या 8657 रकबा 0.7840 हैक्टेयर, 8658 रकबा 0.3414 हैक्टेयर, 8659 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, 8660 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, 8662 रकबा 0.4046 हैक्टेयर, 8671 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 2.1623 हैक्टेयर भूमि एवं आराजी नम्बर 8639 रकबा 0.8725 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण की सहखातेदारी भूमि है, जिसमें विपक्षीगण विशिष्टीकृत भू–भाग का बेचान करना चाह रहे है। वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी भूमि होने से प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा है। अतः विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में से विशिष्टीकृत भू–भाग का बेचान किये जाने की आशंका होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

प्रकरण मे वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी भूमि है जिसमें विधि अनुसार प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा है। किसी भी सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहे है।

14/8/25
सहायक कलक्टर

2. सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः—

संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि न्यायनिर्णयन में सहूलियत हेतु उक्त दोनों बिन्दुओं का विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जे अनुसार विक्रय करने पर आमादा है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। यदि विपक्षी द्वारा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो अनावश्यक वादकारण उत्पन्न होगे। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणयी क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का सहखातेदारी भूमि होने के आधार विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन चाहा गया है। विधि के अनुसार प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा है। किसी भी सहखातेदार को सहखातेदारी भूमि के समुचित उपयोग नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है अर्थात् प्रत्येक सहखातेदार संयुक्त खातेदारी भूमि का समुचित उपयोग करने हेतु विधिक रूप से सशक्त है। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रथम दृष्टया साबित करने में असफल रहे है।

इस प्रकार प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रथम दृष्टया साबित करने में असफल रहे है। अतएव

—: आदेश :—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है और प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.02.2023 को प्रत्याहारित किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

15/8/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा